रासपा
राष्ट्रीय सनातन पार्टी

राष्ट्रीय सनातन पार्टी
अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ

पंजीकृत कार्यालय: म.न. 108-ए, भूतल, खसरा नंबर 60, 30 फुटा रोड, नया सभापुर गुज्जरान, करावल नगर, दिल्ली – 110090
कैम्प कार्यालय: ग्राम व पोस्ट अमानुल्लापुर, तहसील व जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250502
www.rashtriyasanatanparty.org , E-mail: rashtriyasanatanparty@gmail.com फोन नं.: 8193823289

पत्रांक 01 दिनांक 17/04/2026

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
RECEIVED ON
17/04/2026
Date.............

सेवा में,
श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय : डॉ. भीमराव अंबेडकर से वैचारिक असहमति, आलोचना अथवा शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विशेषकर धारा 3(1)(u) एवं 3(1)(v), के दुरुपयोग पर पुनर्विचार करने तथा डॉ. अंबेडकर के नाम से संचालित योजनाओं/स्थानों के नाम संत गुरु रविदास जी व अनुसूचित समाज के अन्य सांस्कृतिक महापुरुषों के नाम पर किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं राष्ट्रीय सनातन पार्टी के अनुसूचित जाति–जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक अत्यंत गंभीर, संवैधानिक तथा सामाजिक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर से वैचारिक असहमति, ऐतिहासिक आलोचना अथवा शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध (जैसे पुतला दहन) को अनेक मामलों में सीधे-सीधे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध मान लिया जाता है। इस प्रवृत्ति से न केवल इस अधिनियम की मूल भावना प्रभावित हो रही है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर एक ऐतिहासिक-राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, न कि कोई देवत्व या धार्मिक आस्था का विषय। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विचारों से सहमति अथवा असहमति व्यक्त करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है।

(पृष्ठ 2 पर जारी....)

यह भी एक सामाजिक सत्य है कि सम्पूर्ण अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज डॉ. अंबेडकर को सर्वसम्मति से अपना एकमात्र आदर्श नहीं मानता। इस समाज के भीतर अनेक महापुरुष, संत, समाज-सुधारक एवं योद्धा पूज्य माने जाते हैं, जिनमें भगवान शिव, भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, महर्षि वाल्मीकि एवं संत गुरु रविदास जी विशेष रूप से सम्मिलित हैं। इन आदर्शों का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण अनुसूचित जाति-जनजाति समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जबकि डॉ. भीमराव आंबेडकर के अनुसार, "भगवान राम श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। सीता उनकी बहन है।" (संदर्भ पुस्तक: "Riddles in Hinduism" by Ambedkar)

जब भारत के अन्य समाज के समान ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लाखों देशभक्त अंग्रेजों से अपने देश, धर्म व स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर साइमन कमीशन के लिए बॉम्बे-प्रेसीडेंसी-कमिटी में मनोनीत होकर कार्य कर रहे थे। जलियावाला बाग़ नरसंहार में सामान्य जाति के साथ ही अनेकों अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोग भी पुलिस की गोली से मारे गए, लेकिन उनकी हत्या पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी दुःख व्यक्त नहीं किया।

अंग्रेजों ने भारत की सैकड़ों पिछड़ी व अनुसूचित जाति- जनजातियों को जरायम पेशा में शामिल करके जन्मजात अपराधी घोषित कर रखा था। इनको वे क्रिमिनल ट्राइब कहते थे। इन लोगों को पुलिस कभी भी उठा सकती थी, उनको अपने नजदीकी पुलिस थाने में प्रतिदिन तीन बार उपस्थिति देनी पड़ती थी। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को भी छोड़ा नहीं गया था। आज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में रखी ये जातियां जिनकी संख्या लगभग 12 करोड़ है, जो पूरी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की लगभग आधी संख्या के बराबर है, पर किये गए इतने बड़े अन्याय के विरुद्ध भी डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कभी आवाज नहीं उठाई, जबकि वो अपनी जाति के प्रखर हितैषी और नेता रहे हैं।

क्रिमिनल ट्राइब में शामिल जनजातियों को वोट देने के अधिकार का विरोध डॉ अम्बेडकर ने किया था। (डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय के भाग 4 में उल्लेखित भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष 23 अक्टूबर, 1928 को अम्बेडकर का साक्ष्य)

इसीलिए डॉ. अंबेडकर सम्पूर्ण अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के एकमात्र आदर्श नहीं हो सकते।

एससी/एसटी अधिनियम का उद्देश्य जाति के आधार पर होने वाले वास्तविक अत्याचारों, अपमान एवं उत्पीड़न को रोकना है, न कि वैचारिक आलोचना, ऐतिहासिक विमर्श अथवा शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध को अपराध की श्रेणी में लाना।

2015 के संशोधन (प्रभावी 26 जनवरी 2016) द्वारा जोड़ी गई धारा 3(1)(u) एवं 3(1)(v) का उद्देश्य भी केवल उन्हीं कृत्यों को दंडित करना है, जिनमें जानबूझकर एवं स्पष्ट मंशा से सम्पूर्ण अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय को अपमानित करने का उद्देश्य हो।

ये धाराएँ मंशा-आधारित (intent-based) हैं और इनमें अपराध तभी बनता है, जब समुदाय-विरोधी उद्देश्य प्रथमदृष्टया सिद्ध हो।

(पृष्ठ 3 पर जारी....)

यदि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की आलोचना या प्रतीकात्मक विरोध में जातिसूचक शब्दों, जातिगत घृणा या हिंसा का आह्वान न हो, तो उसे स्वतः अनुसूचित जाति-जनजाति समाज का अपमान मानना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है और न ही यह अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि—

केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ कि वैचारिक/ऐतिहासिक आलोचना अथवा शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध को, जब तक उसमें जातिगत अपमान या हिंसा का स्पष्ट तत्व न हो, एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत स्वतः अपराध न माना जाए।

धारा 3(1)(u) एवं 3(1)(v) के प्रयोग से पूर्व आपराधिक मंशा (mens rea) तथा समुदाय-विरोधी उद्देश्य का प्रथमदृष्टया परीक्षण अनिवार्य किया जाए।

अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक सुधार किए जाएँ, जिससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिल सके और कानून की गरिमा सुरक्षित रहे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय—दोनों के बीच संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से संचालित सरकारी योजनाओं, संस्थानों, नगरों एवं भवनों के नाम समाज-समरसता के प्रतीक संत गुरु रविदास जी व अनुसूचित समाज के अन्य सांस्कृतिक महापुरुषों के नाम पर किए जाने पर भी विचार किया जाए।

महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका नेतृत्व संविधान, लोकतंत्र एवं सामाजिक समरसता की रक्षा करते हुए इस विषय पर न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय लेगा।

सादर,

कृष्ण कुमार सूद
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुसूचित जाति–जनजाति प्रकोष्ठ
राष्ट्रीय सनातन पार्टी

दिनांक : 17/04/2026

स्थान : दिल्ली